

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/सूअप्र/जयपुर/राकेश स्वामी/199/12/

दिनांक:- 12.10.12

श्री राकेश स्वामी
प्लॉट नं०-56, ज्योती विहार-1,
मान्यावास, मानसरोवर
जयपुर

रजिस्टर्ड पत्र



विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना के संबंध में।
प्रसंग:- इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 12.10.12

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि आप के आवेदन दिनांक 13.06.12 के शेष बिन्दुओं की सूचना निम्नानुसार है।

बिन्दु संख्या 7 मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का समय विद्यालय समय के अनुसार होता है (क) दो पारी विद्यालय में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक द्वितीय शनिवार का अवकाश देय होता है, जबकि एक पारी विद्यालयों में विद्यालय समयानुसार द्वितीय शनिवार का अवकाश देया नहीं होता है।

बिन्दु संख्या 8 संस्था प्रधान के विवेकानुसार
बिन्दु संख्या 9 बिन्दु संख्या 8 के अनुसार
बिन्दु संख्या 12 बिन्दु संख्या 7 के अनुसार

लोक सूचना अधिकारी एवं
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर.